

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ग्यारह'

प्रश्न सं. [क. 2057]

[26/7/2017]

अन्वयिता पृष्ठ 2657

परिशिष्ट- "अ"

विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में जिला आगर मालवा की दो तहसीले सुसनेर तथा नलखेड़ा सम्मिलित हैं तहसीलवाद् पटवारियों के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	तहसील	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	सुसनेर	36	25	11
2	नलखेड़ा	30	17	13
	कुल	66	42	24

आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1698 दिनांक 03.07.2017 द्वारा जिला आगर मालवा हेतु पटवारियों के 119 नवीन पद स्वीकृत किये गए हैं जिससे जिले में पटवारियों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़कर 261 हो गयी है।

लाते हुए राज्य शासन ने जिन पंचायतों में पटेलों के पद रिक्त हैं वहाँ ग्राम पंचायतों को पटेलों के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकार प्रदान किए हैं। जहाँ पटेल नियुक्त नहीं हैं वहाँ ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता क्षेत्र के अंदर पटेल के धारा 224 म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 में वर्णित कर्तव्यों का पालन कर सकेगी।

म.प्र. राजपत्र 28 अक्टूबर 1994 अधिसूचना फ्रामार्क एफ-17-7-94-सात-समन्वय दि. 21 अक्टूबर 1994 द्वारा ग्राम पंचायतों को धारा 24(1) टिप्पणी आ(17) तथा आ(12) म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 के अधीन तहसीलदार के अधिकार अविवाहित मामले के लिए धारा 110 म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 (नामान्तर) ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं। इसी प्रकार सीमा चिन्हों की भरमत करने के धारा 128(2) म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 एवं धारा 130 म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 एवं धारा 178 के अधीन अविवाहित घटवारे के मामले निपटाने के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं तथा जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के अधिकार भी दिए गए हैं।

(इस संघर्ष में म.प्र. रेकॉर्ड्स इन्सेप्टरेशन वि. बध्यप्रदेश शासन 1995(1) (म.प्र. ज्यूडिशियल रिपोर्टर्स शार्ट गोट (1) डी.बी. हायकोर्ट थैंच (मा. भुज न्यायाधीश महो. यू.एल. भट्ट एवं मा. न्यायाधीश महो. राजीव गुप्ता का निर्णय अवलोकनीय है)

३. म.प्र. राज अधिनियम क्र. 1-1994 की धारा 49 के खण्ड 29 के उपखण्ड (ख) के साथ पठित म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 की धारा 24(1) द्वारा प्रदत्त शरितयों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन ने उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन गठित ग्राम पंचायतों को शक्ति प्रदान की है।

(अधिसूचना एफ-2-20-सात-शा-8-94 दिनांक 8 फरवरी 1995)

(1) म.प्र.भू-रा. संहिता 1959 की धारा 143 के अधीन एस.डी.ओ. की शक्तियाँ

(2) उक्त संहिता की धारा 149 व 147 को तहसीलदार की शक्तियाँ भू-राजस्व की वसूली के लिए अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की हैं।

12. पटवारियों का निवास-स्थान -- जब तक पटवारी अपने हल्के से बाहर रहने के संघर्ष में कलेक्टर से अथवा अपने हल्के के किसी अन्य गांव में रहने के लिए उप-संभागीय अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त न कर ले, तब तक प्रत्येक पटवारी को अपने हल्के के भीतर नियर्त किए गए किसी गांव में सपरिवार स्थाई रूप से निवास करना होगा।

टिप्पणी - यदि पटवारी के बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों तथा यदि उसके अपने हल्के में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध न हों, तो यह अपने परिवार को ऐसे स्थान पर स्थान संख्या जाहीं उसके बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों।

13. कोई भी पटवारी किसी राजस्व अधिकारी की, जो नायब तहसीलदार के पद से निम्नपद का न हो, का आपाती मामलों में राजस्व निरीक्षक को अनुमति के बिना अपना हल्का नहीं छोड़ेगा।

14. पटवारी, शासकीय कर्मचारियों के आधरण का विनियमन करने के लिए, राज्य शासन द्वारा धनाए जाए सामान्य नियमों के अधीन रहेंगे।

टिप्पणी - शासकीय आवार अधिकारी एवं संहिता पटवारियों के लिए भी लागू होगी जो कर्मचारियों के लिए दर्शाई गई है।

15. (1) पटवारियों को अर्जित अवकाश, इस विषय के संघर्ष में उन पर लागू होने वाले नियमों के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा नीचे दिए गई सीमा तक मंजूर किया जा सकेगा : -

उप-संभागीय अधिकारी

पूर्ण शक्ति

(टिप्पणी - एस.डी.ओ. को पटवारी को अर्जित अवकाश मंजूर करने की पूरी शक्ति प्राप्त है)